



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक - 28 मई, 2025

थाना- सिकन्दाबाद

गैंगस्टर में वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी अवैध असलहा कारतूस सहित गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 27.05.2025 को थाना सिकन्दाबाद पुलिस द्वारा एक पुरस्कार घोषित अपराधी दानिश को सराय घासी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिकन्दाबाद पर पंजीकृत मुअसं- 396/25 धारा 2/3 गैंगस्टर में लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना सिकन्दाबाद पर मुअसं-495/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. दानिश पुत्र रहीश उर्फ रईश निवासी मौ0 गद्दीवाडा कस्बा व थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त दानिश का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 511/2015 धारा 279, 323, 337, 504, 506 भादवि थाना सिकन्दाबाद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 310/2017 धारा 307/336/34 भादवि थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 876/2019 धारा 323/504/506 भादवि थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 37/2021 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 514/2022 धारा 147, 148, 149, 307, 308, 323, 336, 504, 506 भादवि व 07 सीएल एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 609/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 645/2023 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 504, 506 भादवि व 07 सीएल एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 322/2024 धारा 120बी, 147, 148, 149, 307, 323, 452, 504 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 396/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 495/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिकन्दाबाद जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री अनिल कुमार शाही थाना प्रभारी सिकन्दाबाद
- 2- उ0नि0 रोबिन कुमार, उ0नि0 यतेन्द्र सिंह
- 3- है0का0 मंजुर अहमद, का0 दिलीप कुमार, का0 रोहित कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर